

समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),  
कानपुर मण्डल, कानपुर।

परिवाद संख्या - 21/2022

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विश्वाज टावर,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

----- परिवादी /आवेदक  
बनाम

धिशाशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.)  
झींझक, कानपुर देहात।

----- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)  
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

परिवादी इण्डस टावर लि. द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता  
मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 02.09.2022 को अधिशाशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड,  
छिबरामऊ, जिला कन्नौज (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरुद्ध अपने संयोजन  
संख्या 781726699511 के सम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत विलों में संशोधन के सम्बंध में इस  
फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया  
गया है:-

- (a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संसोधन किया जाये।
- (b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय।
- (c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय।
- (e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे।

इण्डस टावर लि. झींझक, कानपुर देहात संयोजन संख्या 781726699511 स्वीकृत भार  
22.222 KW का Previous Arrear & Previous Surcharge रु. 22,66,227/- था।

M

✓

आगे जारी है।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाह को तथा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, झींझक, कानपुर देहात के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम विपाठी के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

- (1) क्या परिवादी का परिवाद कायम रहने योग्य है।

परिवादी ने परिवाद विपक्षी के विरुद्ध दाखिल किया है। परिवादी ने विद्युत बिल (का. सं. 1/9) दाखिल किया। विपक्षी की ओर से (का. सं. 3) पत्रांक सं. 2602/वि.वि.ख.झीं.का.दे. दिनांक 12.10.2022 दाखिल किया गया है।


- (2) परिवाद सं. 40/2021 इण्डस टावर लि. पहले से ही दाखिल था। इसलिए परिवाद सं. 21/2022 इण्डस टावर लि. Duplicate होने के कारण परिवाद इस फोरम में दर्ज कराने योग्य नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश


परिवाद सं. 40/2021 इण्डस टावर लि. पहले से ही दाखिल था। इसलिए परिवाद संख्या 21/2022 इण्डस टावर लि. Duplicate होने के कारण परिवाद निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

  
(संजीव कुमार गुप्ता)  
सदस्य/अनु०

  
(संतोष कुमार तिवारी)  
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांक:- 18/11/2022

  
(संजीव कुमार गुप्ता)  
सदस्य/अनु०

  
(संतोष कुमार तिवारी)  
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांक:- 18/11/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.)  
(iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति